न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/02/2025	2025/123	02.06.2025	25.11.2025

1. इच्छब कंवर उर्फ उच्छब कंवर पत्नी स्व० श्री राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत उम्र कदीब 45 साल निवासी भडोली तहसील मालाखेडा जिला अलवर (राज०)।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, अलवर राज०
2. जितेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह
3. गजेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी भडोली तहसील मालाखेडा अलवर

–असल रेस्पोडेण्ट

4. सुशीला कंवर पुत्री राजेन्द्र सिंह निवासी भडोली तहसील मालाखेडा अलवर

–तरतीवी रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध सहायक भू–प्रबंध अधिकारी आदेश दिनांक 27.07.1994 नामा0 सं0 10 वाके ग्राम भडोली तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

उपस्थितः–

01–श्री श्योराम सिंह नरुका –वकील अपी0

02–श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता –वकील रेस्पोडेंट सं० 2 व 3

03–श्री रोहिताश सिंह चौहान –वकील तरतीवी रेस्पोडेंट सं० 4

–:निर्णयः–

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरुद्ध सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, अलवर राज० के निर्णय दिनांक 27.07.1994 नामान्तकरण संख्या 10 वाके ग्राम भडोली तहसील मालाखेडा स्वीकार किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष विद्वान वकील की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित इंतकाल संख्या 10 वाके ग्राम भडोली तहसील अलवर सहायक भू–प्रबंध अधिकारी अलवर द्वारा बिना अपीलांट व तरतीवी रेस्पोडेंट सं० 4 को कोई सूचना दिये व बिना सुने एक तरफा में दिनांक 27.07.1994 को दर्ज व स्वीकार कर दिया जिस इंतकाल की जानकारी मिन अपीलांट व तरतीवी रेस्पोडेंट को पूर्व में नहीं थी तथा उक्त इंतकाल की सर्वप्रथम जानकारी मिन अपीलांट को 04.10.2013 को हुई जब मिन अपीलांट पटवारी हल्का के पास किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने व कागजात नकल हेतु गई तो पटवारी हल्का ने बताया कि आराजी का इंतकाल पूर्व में ही हो चुका है और आपका नाम नहीं है जिस पर मिन अपीलांट ने तहसील कार्यालय में उक्त इंतकाल की जानकारी अपने अधिवक्ता के माध्यम से की तो पता चला कि उक्त इंतकाल रेस्पोडेंट 2 व 3 के पक्ष में दर्ज व स्वीकार करवाया गया है जिस पर नकल आवेदन 04.10.2013 को पेश किया जो नकल 08.10.2013 के दिन प्राप्त हो गई तब पूर्ण रूपेण मिन अपीलांट को जानकारी हुई तब मिन अपीलांट अपने अधिवक्ता से कानूनी सलाह मशवरा किया तो वकील साहब ने अपील करने की सलाह दी जिस पर अपील के दावे हेतु पैसे का इंतजाम किया और आज बिना देरी के अपील पेश की जा रही है अवधी कन्डोन हेतु दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र अलग से पेश किया जा रहा है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

अपीलाधीन आदेश सहायक भू–प्रबंध अधिकारी अलवर का है जिसकी अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार अदालत श्रीमान को होने से अपील काबिल गौर अदालत श्रीमान है। अपीलाधीन आदेश/निर्णय बाबत इंतकाल संख्या 10 वाके ग्राम भडोली विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

आराजी साबिक खसरा नं० 21 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, 46 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा, कुल किता 2 रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम भडोली तहसील अलवर जिसके हाल खसरा नंबर 77 रकबा 0.12 है० 68 रकबा 1.03 है०, 163 रकबा 0.01 है० 176 रकबा 1.41 है० कायम हुए है जिस आराजीयात में राजेन्द्र सिंह पुत्र मदनसिंह 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार था और राजेन्द्र सिंह की खातेदारी की आराजी थी जिनकी मृत्यु होने के उपरांत विरासत इंतकाल रेस्पो० 2, 3 ने मिली भगत कर अपने नाम दर्ज व स्वीकार करवा लिया जबकि राजेन्द्र सिंह मृतक के क्रमशः इच्छब कंवर उर्फ उच्छब कंवर पत्नी व जितेन्द्र सिंह पुत्र व गजेन्द्र सिंह पुत्र व सुशीला कंवर पुत्री जायज वारिस काबिज जायदाद है।

राजेन्द्र सिंह पुत्र मदन सिंह की शादी पुष्पा कंवर के साथ सम्पन्न हुई थी पुष्पा कंवर के राजेन्द्र सिंह के नुत्फे से तीन संतान जितेन्द्र सिंह, गजेन्द्र सिंह पुत्रान व सुशीला कंवर पुत्री हुये पुष्पा कंवर के फौत होने पर राजेन्द्र सिंह की शादी इच्छब कंवर उर्फ उच्छब कंवर से हुई। सन् 1993 में राजेन्द्र सिंह सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गयी।

अपीलांट मृतक राजेन्द्र सिंह की ब्याहता पत्नी है और सुशीला कंवर तर रेस्पा० मृतक राजेन्द्र सिंह की जायज पुत्री है जो हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रथम श्रेणी के वारिस है। जिनका राजेन्द्र सिंह की सम्पति में समान हक व हिस्सा है।

रेस्पो० 2 व 3 ने रेस्पो० 1 से मिल कर व साज बाज हो कर विधि विरूद्ध तरीके से दौरान सेटलमेन्ट इंतकाल अपने नाम दर्ज व स्वीकार करा लिया। इंतकाल दर्ज व स्वीकार करने से पूर्व ना तो कोई मृतक राजेन्द्र सिंह के जायज वारितान की जांच की ओर ना ही वारितान को सुनवाई का अवसर दिया ओर बिना सुने व मौका जांच के विवादित इंतकाल विवादित दर्ज व स्वीकार कर दिया इसलिये इंतकाल निरस्त होने योग्य है।

अपीलांट व तरतीवी रस्पोडेंटे सं० 4 का विवादित इंतकाल की आराजी में बराबर का हक व हिस्सा है। यदि इंतकाल पटवारी हल्का द्वारा दर्ज किया जाता तो राजेन्द्र सिंह के सभी वारिसान का नाम इंतकाल में दर्ज होता और पंचायत के सभी सदस्य व सरपंच को मृतक राजेन्द्र सिंह के वारिसों की जानकारी होती और उनका नाम पंचायत में इंतकाल हो जाता तो सभी वारिसान की जांच कर के इंतकाल दर्ज किया जाता। इसलिये उक्त इंतकाल निरस्तनीय है।

प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि किसी भी पक्षकार के खिलाफ कोई आदेश या निर्णय पारित करने से पूर्व उस पक्षकार को न्याय हित में सुना जाना आवश्यक है इसलिए सहायक भू–प्रबंध अधिकारी का आदेश निरस्तनीय है। उक्त विवादित इंतकाल संख्या 10 में अपीलांट का 1/4 हिस्सा व रेस्पोडेंट सं० 2 व 3, का 1/4, 1/4 हिस्सा व तरतीवी रेस्पोडेंट० 4 का 1/4 हिस्सा है। अब दिनांक 11–10–2013 को रेस्पा० सं० 2 व 3 ने अपीलांट को यह एलानिया धमकी दी कि उक्त आराजी हमारे नाम है हम इसे बेच कर रहेगे व रहन बय हिबे बरामुन्तकिल करेंगे यदि उन्होंने ऐसा कर दिया तो अपीलांट व तरतीवी रेस्पोंडेंट को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए प्रार्थना–पत्र स्थगन अलग से पेश किया जा रहा है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत अदालत सहायक भू–प्रबंध अधिकारी अलवर का आदेश दिनांक 27.07.1994 बाबत इंतकाल संख्या 10 वाके भडोली तहसील अलवर को निरस्त किया जा कर मृतक राजेन्द्र सिंह का विरासत का इंतकाल अपीलांट व तरतीवी रेस्पोंडेंट सं० 4 व रेस्पोडेंट सं० 2 व 3 के नाम 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 हिस्से का दर्ज व स्वीकार किये जाने के आदेश सादिर फरमाने की कृपा करें। वकील अपीलांट ने अपीलांट के दस्तावेज पहचान पत्र, आधार कार्ड जनआधार कार्ड, विधवा पेंशन पीपीओ, राशन कार्ड, पेनकार्ड एवं बैंक पासबुक की प्रति प्रस्तुत की गई है, एवं

जिला कलेक्टर
अलवर (राज०)

अपील के समर्थन में विभिन्न न्यायायिक दृष्टांत DNJ (1) (REV.) पेज सं० 767, RRD 1994 पेज सं० 606(3), RRD 1991 पेज सं० 218(C), RRD 1989 पेज सं45, RLW 2003 पेज सं० 509 प्रस्तुत किया गया है।

विद्वान वकील रेरपोडेंट सं० 2 व 3 ने अपनी बहरा में अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए कथन किया कि सर्वप्रथम प्रा० पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के सम्बन्ध में निवेदन किया गया है कि यह अपील अपीलांट द्वारा राहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी अलवर के आदेश दिनांक 27.07.1994 नामांतरण सं० 10 वाके ग्राम भडोली तहसील मालाखेडा के विरुद्ध पेश की गई है जिराने अपीलांट को रार्वप्रथग जानकारी दिनांक 04.10.2013 को हुई जबकि इंतकाल पूर्व में ही दर्ज हो चुका था। दिनांक 08.10.2013 को नकल प्राप्त होने पर जानकारी हुई। वकील साहब कानूनी सलाह के पश्चात बिना देरी अपील दायर की जिसमें प्रार्थिनी/अपीलांट द्वारा मनगढंत एवं मिथ्या तथ्यों के आधार पर उक्त अपील तैयार करा कर बिना किरी विधिक अधिकार के रेस्पोडेंट सं० 2 व 3 को बेजा तंग व परेशान करने की नीयत से लोगों के बहकावे में आकर की गई है तथा इंतकाल स्वीकृत दिनांक 27.07.1994 रो दिनांक 04.10.2013 तक समय माफ किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि 19 साल निकल जाने के बाद उक्त अपील प्रस्तुत की गई है तथा अपीलांट व तरतीवी रेस्पोंडेंट सं० 4 वक्त इन्तकाल दिनांक 27.07.1994 को मौके पर उपस्थित थी। अपीलांट को विलम्ब के लिए दिन प्रतिदिन का हिसाब देना होता है जो उक्त अपील में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस कारण से अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर मय हर्जा खर्चा खारिज की जावे। जिस पर रेस्पोडेंट अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टांत RRD 2003 (I) पेज सं० 27, RRD 2011 (I) पेज सं० 421, RRD 2015 (I) पेज सं० 168 एवं विलम्ब शमन कर पर्याप्त कारण नही होने पर तीन दिवस का विलम्ब माफ नहीं किया। RRD 2010 (II) पेज सं० 801 राजस्थान उच्च न्यायालय, RRD 2013 (II) पेज सं० (डीबी), RLR 1996 पेज सं० 714 हाई कोर्ट, RRD 2009 (I) पेज सं० 488, RRD 2015 (I) पेज सं० 232 राजस्थान उच्च न्यायालय एवं RRD 2002 पेज सं० 527 पेश की गई एवं RRD 2000 पेज सं० 547 राजस्थान उच्च न्यायालय CJ CIVIL 202 (II) पेज सं० 476 सुप्रीम कोर्ट पेश की गई है।

विद्वान वकील तरतीवी रेस्पोडेंट सं० 4 ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए कथन किया कि सर्वप्रथम प्रा० पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के सम्बन्ध में निवेदन किया गया है कि यह अपील अपीलांट द्वारा सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी अलवर के आदेश दिनांक 27.07.1994 नामांतरण सं० 10 वाके ग्राम भडोली तहसील मालाखेडा हाल मालाखेडा के विरूद्ध पेश की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत व कानूनी प्रक्रिया अपनायी जाकर उक्त नामांतकरण सं० 10 स्वीकार किया गया। वक्त नामांतकरण स्वीकार करते समय सुशीला कंवर स्वयं मौके पर उपस्थित थी एवं उसकी सहमती से ही उक्त नामांतकरण दर्ज व तस्दीक किया गया है। उक्त नामांतकरण रेस्पोडेंट सं० 2 व 3 के पक्ष में दर्ज व तस्दीक होने की जानकारी अपीलांट को पूर्व से ही रही है। अपीलांट ने जानबूझकर लगभग 19 साल बाद यह अपील प्रस्तुत की गई है जो मियाद अधिनियम के बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष विद्वान वकील की बहस पर चिन्तन मनन किया गया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी तथ्यों का अध्ययन किया गया। पत्रावली पर धारा 96 CPC का प्रार्थना-पत्र निर्णय दिनांक 06.08.2024 को स्वीकार हो चुका है। इसलिए सर्वप्रथम दफा 5 मियाद कानून का अवलोकन किया गया। अपीलांट के उक्त तथा कथित इन्तकाल सं० 10 की जानकारी दिनांक 04.10.2013 को पटवारी हल्का के पास क्रेडिट कार्ड बनावाने हेतु जाने पर हुई। पटवारी हल्का द्वारा बताया कि उक्त इन्तकाल पूर्व में ही हो चुका है। जिसमें आपका नाम नहीं है। जितेन्द्र सिंह, गजेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह के नाम सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा दर्ज व तस्दीक किया गया। जबकि मृतक राजेन्द्र सिंह की जायज वारिस इच्छब कंवर उर्फ उच्छब कंवर पत्नि एवं तरतीवी रेस्पोडेंट सुशीला कंवर पुत्री के नाम नामांतरण दर्ज नहीं किया गया है। जिसमें अपीलान्ट एवं तरतीवी रेरपोडेंट सं० 4 का हक निहित है। रेरपोडेंट वकील के अनुसार अपीलान्ट को उक्त नामान्तरण की जानकारी पूर्व से रही है एवं तरतीवी

रेस्पोडेंट सं० 4 वक्त नामांतरण दर्ज करते समय मौजूद रही थी एवं अपीलांट ने लगभग 19 साल विलम्ब से अपील पेश करने का कोई औचित्य पूर्ण दिन–प्रतिदिन का कोई हिसाब नहीं दिया गया है। मियाद बिन्दु पर ही अपील खारिज किये जाने योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत नजीरे का अध्ययन करने पर कानून की मंशा के अनुसार अपीलान्ट मृतक राजेन्द्र सिंह की पत्नि है एवं जायज वारिस होने के कारण मियाद के बिन्दु के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा अनेकों सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं जिनके अनुसरण में नरमी का रूख रखते हुए अपील के गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते है। इसलिए मियाद प्रार्थना–पत्र दफा 5 के अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय सहायक भू–प्रबंध अधिकारी अलवर द्वारा उक्त विवादित इन्तकाल सं० 10 वाके ग्राम भडोली तहसील मालाखेडा तस्दीक करने से पूर्व वारिसों की जाँच नहीं की गई एवं अपीलांट को बिना सुने ही एक तरफा में दिनांक 27.07.1994 को रेस्पोडेंट सं० 2 व 3 (जितेन्द्र सिंह, गजेन्द्र सिंह) के नाम दर्ज व तस्दीक कर दिया गया। जबकि मृतक राजेन्द्र सिंह के इच्छब कंवर उर्फ उच्छब कंवर (पत्नि) जितेन्द्र सिंह, गजेन्द्र सिंह (पुत्र) व सुशीला कंवर पुत्री जायज वारिस है जो मृतक राजेन्द्र सिंह की प्रथम पत्नि पुष्पा कंवर से तीन संतान जितेन्द्र सिंह (पुत्र), गजेन्द्र सिंह (पुत्र) व सुशीला कंवर (पुत्री) हुए। पुष्पा कंवर की मृत्यु होने पर राजेन्द्र सिंह की इच्छब कंवर उर्फ उच्छब कंवर से शादी हुई। सन् 1993 में राजेन्द्र सिंह की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अपीलांट ने मृतक राजेन्द्र सिंह की वारिस होने के सम्बन्ध में दस्तावेज पहचान पत्र, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, विधवा पेंशन का पीपीओ, राशन कार्ड, पेनकार्ड एवं बैंक पासबुक की प्रति प्रस्तुत की गई जिसमें अपीलान्ट के पति का नाम राजेन्द्र सिंह अंकित किया हुआ है एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार अपीलांट मृतक राजेन्द्र सिंह की जायज वारिस है जिनका राजेन्द्र सिंह की सम्पति में समान हक व हिस्सा है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा मृतक राजेन्द्र सिंह के वारिसान की बिना समुचित जाँच एवं सुनवाई के उक्त विवादित इन्तकाल सं० 10 तस्दीक किया गया जो त्रुटिपूर्ण दर्ज किया गया है। अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी के निर्णय दिनांक 27.07.1994 इन्तकाल सं० 10 वाके ग्राम भडोली तहसील मालाखेडा को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार मालाखेडा को प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि मृतक राजेन्द्र सिंह के वारिसान की विधिवत जाँच की जाकर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर,
अलवर (राज0)